न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **326/2020** दायर दिनाँक **22.12.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जितेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र छतर सिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी खोजास, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. छगन सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह उम्र 62 वर्ष 2. मनोहर सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह उम्र 60 वर्ष 3. दुर्गा सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह उम्र 55 वर्ष 4. इन्द्रसिंह पुत्र स्व. खांग सिंह उम्र 70 वर्ष 5. तोप कंवर पत्नि लाल सिंह उम्र 80 वर्ष 6. मातादीन सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र 35 वर्ष 7. कौशल्या पत्नि मदनसिंह उम्र 60 वर्ष 8. मोबसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी खोजास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री शरीफ शैरानी वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.08.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादी की कब्जा सुदा व पैत्रिक खेत खसरा सं0 413 रकबा 1.00 हैक्ट., खसरा सं0 540 रकबा 1.65 हैक्ट., खसरा सं0 540/633 रकबा 0.33 हैक्ट. कुल रकबा 2.98 हैक्ट. वाके सरहद खोजास, पटवार क्षैत्र खोजास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेगसर तहसीलर डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि वादी उक्त भूमि के खातेदार छरत सिंह के गोद गया हुआ है तथा छतर सिंह की मृत्यु दिनांक 10.02.2012 व उसकी पत्नि सलाब कंवर की मुत्यु दिनांक 26.12.2009 को हो चुकी है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 08 का प्राकृत्रिक पुत्र है तथा वदी को बाल्याअवस्था में ही वादी के प्राकृतिक पिता मोबसिंह ने अपने बड़े भाई छतर सिंह व उसी पत्नि सैलाब कंवर को राजीखुशी0सं0 व समाज के रीति–रिवाजों अनुसार गुड़ बाट कर व पगड़ी पहनाकर गोद देने की रश्म समाज के मौजिज लोगो व परिवारजनों के सामने सम्पन्न हुआ था। तब से वादी जितेन्द्र सिंह अपने गोद पिता छतर सिंह व माता सैलाब कंवर के पास गोद पुत्र की हैसियत से रहता चला आ रहा है तथा वादी जितेन्द्र सिंह अपने गोद माता–पिता के जीवन काल में उनके गोद पुत्र की हैसियत से सेवा चाकरी करता रहा तथा परिवार व समाज के रश्मो रिवाज गोद पुत्र की हैसियत से निभाता रहा है तथा छतर सिंह व [illegible] मृत्यु के पश्ताच समाज की समस्त रशमों का निवाह गोद पुत्र की [illegible] किया।

यह है कि वादी के नाम [illegible] आधार कार्ड, शैक्षिक दस्तावेज, ड्राईविंग लाइसेंस व समस्त [illegible] वादी के पिता का नाम छतर सिंह दर्ज हो रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि वादी के गोद पिता छतर सिंह के जीवन काल से ही खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 1.00 हैक्ट., खसरा नम्बर 540 रकबा 1.65 हैक्ट. व 540/633 रकबा 0.33 कुल रकबा 298 हैक्ट. वाके सरहद खोजास में उनके हिस्से बंट की भूमि पर गोद पुत्र की हैसियत से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है परन्तु छतर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी फौतगी म्यूटेशन में वादी जितेन्द्र सिंह का नाम दर्ज नही होने के कारण तथा वादी जितेन्द्र सिंह को प्रतिवादीगण द्वारा उसकी कब्जा काश्त व पैत्रिक भूमि से मेहरूम करने के कारण यह दावा घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है कि–

यह है कि खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 1.00 हैक्ट., खसरा नम्बर 540 रकबा 1.65 हैक्ट. व खसरा नम्बर 540/633 रकबा 0.33 हैक्ट. कुल रकबा 2.98 हैक्ट. वाके सरहद खोजास में खातेदार छतर सिंह के स्थान पर वादी जितेन्द्र सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने अपना शपथ–पत्र पेश किया। वादी के वाद का प्रतिवादीगण 1, 3 ता 6 व 07 की ओर से ईकबाले जवाब पेश हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने राजीनामा पेश किया। तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 09 बावजुद तामिल के अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः हस्व दावा खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 1.00 हैक्ट., खसरा नम्बर 540 रकबा 1.65 हैक्ट. व खसरा नम्बर 540/633 रकबा 0.33 हैक्ट. कुल रकबा 2.98 हैक्ट. वाके सरहद खोजास में खातेदार छतर सिंह के स्थान पर वादी जितेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र छतर सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज की जाती है। वादी की खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **13.08..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **326/2020** दायर दिनाँक **22.12.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जितेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र छतर सिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी खोजास, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. छगन सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह उम्र 62 वर्ष 2. मनोहर सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह उम्र 60 वर्ष 3. दुर्गा सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह उम्र 55 वर्ष 4. इन्द्रसिंह पुत्र स्व. खांग सिंह उम्र 70 वर्ष 5. तोप कंवर पत्नि लाल सिंह उम्र 80 वर्ष 6. मातादीन सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र 35 वर्ष 7. कौशल्या पत्नि मदनसिंह उम्र 60 वर्ष 8. मोबसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी खोजास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T. Act.

दिनाँक **13.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा खेत खसरा नम्बर 413 रकबा 1.00 हैक्ट., खसरा नम्बर 540 रकबा 1.65 हैक्ट. व खसरा नम्बर 540/633 रकबा 0.33 हैक्ट. कुल रकबा 2.98 हैक्ट. वाके सरहद खोजास में खातेदार छतर सिंह के स्थान पर वादी जितेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र छतर सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज की जाती है। वादी की खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **13.08.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:25 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (ना.गौ.)

Scanned by CamScanner